झारखण्ड सरकार
कारा निरीक्षणालय
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
टी०ए० डिवि़जन बिल्डिंग, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4

-:WALK IN INTERVIEW:-

नियुक्ति विज्ञापन संख्या–01 / जेल / 2022

राज्य के काराओं में कक्षपाल / महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों (Ex Serviceman)/ महिला भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न 08:00 से संध्या 04:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निम्नांकित किसी एक ही कारा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों / अभिलेखों के साथ काराधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कारा कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाये जाते हैं तो दूसरे कारा कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा पर नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

क्र०	स्थान	तिथि
1.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	12.10.2022
2.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग	28.10.2022
3.	केन्द्रीय कारा, दुमका	04.11.2022
4.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर	11.11.2022

1) भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध के आधार पर कक्षपाल / महिला कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की सं०–(i) पुरूष–600(छः सौ) (ii) महिला–24(चौबीस) है।

2) यह पद राज्य स्तरीय है।

3) ये नियुक्तियाँ एक प्रकरण में एक (01) वर्ष के लिये होंगी एवं आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जायेगा एवं नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

4) अनुबंध पर नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त मानदेय रू० 20,000.00 (रू० बीस हजार) मात्र प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% (आठ प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जायेगी। इसके अलावे कोई राशि देय नहीं होगी।

5) भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध में निम्नलिखित शर्ते होंगी :–
   (i) सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जायेगा।
   (ii) अनुबंध पर रखे गये इन कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 (बीस) दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
   (iii) इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।
   (iv) इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं कदाचार चारित्रिक दोष की स्थिति में बिना किसी सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
   (v) इन्हें चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
   (vi) ये नियुक्तियाँ अनुबंध पर है तथा नियमित नियुक्ति नहीं है, साथ ही सैन्य सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से आरक्षित कर्मियों की संख्या में कमी रहने की संभावना है। अतएव 'इस स्थिति में इन पदों के नियुक्ति में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर को इस शर्त्त के साथ शिथिल किया गया है कि संविदा नियुक्ति में झारखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6) अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र दिनांक–01.06.2022 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7) इन भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रथम एक माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात् उन्हें आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कारा या मंडल काराओं/ उपकाराओं में पदस्थापित किया जा सकता है।

8) संदर्भित अनुबन्ध पर नियुक्ति के पश्चात बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि वे अपने कर्त्तव्य से भाग गए हैं और इसे न केवल अनुशासनहीनता के रूप में देखा जायेगा बल्कि कारा व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में अपराधिक मामला माना जायेगा और उस स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है।

9) अनुबंध पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों पर कारा हस्तक के तहत कक्षपाल के लिए निर्धारित सेवा शर्ते लागू होंगी।

10) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3164 दिनांक–19.05.2022 द्वारा निर्गत पत्र में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इण्टर कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

11) **जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनके इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती हैं साथ ही ड्राईवर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।**

12) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे :–

(i) डिस्चार्ज कार्ड
(ii) पहचान पत्र
(iii) शैक्षणिक योग्यता (अभ्यर्थी का झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इण्टर कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा)।
(iv) जाति प्रमाण पत्र
(v) स्वपता लिखित लिफाफा (24c.m.x11c.m.) जिसपर 45 रूपये का डाक टिकट लगा हो।
(vi) एक स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकायेंगे
(vii) दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

13) पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से Walk in Interview की निर्धारित स्थान एवं तिथि को हाथो–हाथ प्राप्त किया जायेगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जाँच परीक्षण केन्द्रीय काराधीक्षक के समक्ष की जायेगी।

14) उपरोक्त नियुक्ति वर्तमान विषेष परिस्थिति (Covid-19) के निमित्त अस्थायी कारा के गठन में अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। अतः नियुक्ति होने पर तत्काल योगदान करना अनिवार्य होगा।

15) संबंधित काराधीक्षक के द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिक को उपयुक्त पाये जाने पर तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराकर औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए अनुमोदन हेतु तत्काल कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को समर्पित किया जायेगा।

उक्त जाँच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16) यह विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in वेब साईट पर Home Department के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

19/9/22

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या–01 / जेल / 2022

1– आवेदक का नाम –..
(देवनागरी अक्षरों में साफ–साफ)

(बड़े रोमन अक्षरों में साफ–साफ)–..

2– पिता का नाम – ....

3– शैक्षणिक योग्यता–...

....

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट

4– फोन / मोबाईल सं०–..

5– स्थायी पता– ग्राम / मोहल्ला...

पोस्ट ऑफिस.......................................थाना–..

जिला–................................पिन कोड................................राज्य ....

पत्राचार का पता–ग्राम / मोहल्ला...

पोस्ट ऑफिस.......................................थाना–..

जिला–................................पिन कोड................................राज्य ....

6– जन्म तिथि– दिन | | | माह | | | वर्ष | | | | |

7– जाति –(सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अनु०जाति / अनु०जनजाति)–...................................

8– दिनांक–01.06.2022 को उम्र– वर्ष | | | माह | | | दिन | | |

9– सेवा निवृत्ति के समय सेना में किस रैंक पर कार्यरत रहे –...

10– सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि एवं यूनिट जहाँ से सेवा निवृत्त हुए–..............................

....

11– जिला सैनिक कार्यालय का नाम एवं पंजीयन संख्या (जहाँ पंजीकृत हैं) ....

....

12– शारीरिक पहचान के दो चिह्न – 1)..

2)..

13– यदि कम्प्यूटर योग्यता/ जीप चालन की योग्यता (ड्राईविंग लाईसेंस सहित) या अन्य कोई तकनीकी योग्यता या अनुभव जैसे ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक आदि हो तो उसका उल्लेख करें।

1)..

2)..

3)..

14– डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार आवेदक का चरित्र एवं स्वास्थ्य ....

15– संलग्न किये जाने वाले स्वअभिप्रमाणित प्रमाण–पत्रों की सूची (डिस्चार्ज कार्ड/पहचान पत्र/शैक्षणिक योग्यता/ अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/दो अतिरिक्त स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो/ टिकट लगा लिफाफा)

1)...2)..

3)...4)..

5)...6)..

7)...8)..

स्थान :–

दिनांक :– आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

घोषणा–पत्रः–

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण–पत्र सही है। मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं संविदा बिना कारण बताये रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमे में आरोप पत्रित/ संदिग्ध/ दण्डित नहीं हुआ हूँ, एवं मैं इससे पूर्व झारखण्ड राज्य के किसी कारा में संविदा के आधार पर कक्षपाल के पद पर कार्य नहीं किया हूँ।

दिनांक :– आवेदक का पूरा हस्ताक्षर